



2026:AHC-LKO:6098-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

रिट - सी संख्या - 744 सन 2026

प्रमोद कुमार सिंह एवं एक अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव आवास शहरी नियोजन
सचिवालय, लखनऊ एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता :	रूपानी मिश्रा, विजय कुमार वर्मा
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता :	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रत्नेश चन्द्रा

न्यायालय संख्या - 1

**माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार वर्मा को, राज्य--प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को और प्रतिवादी संख्या 3--लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव त्रिपाठी को सुना गया, जिनका वकालतनामा अभिलेख में लिया गया है।
2. याचिकाकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 41(3) के तहत दायर पुनरीक्षण याचिका का निस्तारण करने की मांग की है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(2) के तहत निर्धारित प्राधिकारी द्वारा दिनांक 12.09.2025 को पारित आदेश को चुनौती दी है।
3. यदि याचिकाकर्ताओं की पुनरीक्षण याचिका अन्यथा स्वीकार्य है, तो पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा इस पर यथाशीघ्र, यानी तीन महीने के भीतर विचार किया जाए और निस्तारण किया जाए। यदि कोई

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अंतरिम राहत याचिका दायर की गई है, जो अन्यथा स्वीकार्य है, तो उस पर भी विचार किया जाए और यदि संभव हो तो पुनरीक्षण में निर्धारित अगली तिथि तक या उसके दस दिनों के भीतर निस्तारण किया जाए।

4. याचिका का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन रॉय]

जनवरी 28, 2026

अर्णिमा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।